छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त मोर्चा

(छ.ग. शासन द्वारा मान्यता एवं पंजीकृत कर्मचारी-अधिकारी संगठनों का संयुक्त फोरम)

कार्यालय : अर्जुन नगर, पुराना मंत्रालय के सामने (प्रांतीय कार्यालय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ), रायपुर, छ.ग.

पत्र क्रमांक : 002 दिनांक : 21/2/2024.

प्रति,

मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

विषय :- राज्य के कर्मचारियों-अधिकारियों, पेन्शनरों की मांगों के ध्यानाकर्षण हेतु 6 मार्च, 2024 को सत्याग्रह आंदोलन।

महोदय,

विषयान्तर्गत में लेख है कि राज्य के कर्मचारियों एवं पेन्शनरों की न्यायोचित माँगों के लिये छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव का अनेकों बार ध्यानाकर्षण किया गया किंतु आज पर्यन्त कर्मचारियों क निम्नलिखित माँगों का कोई समाधान नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।

हमारी माँगें:-

1. राज्य के कर्मचारियों एवं पेन्शनरों के लिये मोदी की गारंटी के तहत केन्द्र के समान 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि 1 जुलाई 2023 से प्रदान किया जाय एवं जनवरी 2018 से समय-समय पर देय महंगाई भत्ते का लम्बित एरियर्स का समायोजन जी.पी. एफ. खाते में किया जाये।
2. सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किस्त का शीघ्र भुगतान किया जाये।
3. पूरे प्रदेश में समस्त विभागों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की व्यापक रूप से कमी को देखते हुये राज्य में संविदा अधिकारियों की उम्र 70 वर्ष, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा पशु चिकित्सा विभाग में सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष के आधार पर समस्त विभाग में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किया जाये।
4. वर्ष 2013 के भाजपा के घोषणा-पत्र के क्रियान्वयन हेतु राज्य के समस्त कर्मचारियों को क्रमशः 8, 16, 24 एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत चार स्तरीय वेतनमान प्रदान किया जाये।
5. भाजपा शासनकाल में श्री एस.के. मिश्रा, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाये।
6. पुरानी पेंशन योजना के लाभ हेतु प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना किया जाये तथा पूर्ण पेंशन की पात्रता हेतु अर्हतादायी सेवा 33 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष किया जाये।

21/02/24
CHIEF SECRETARY OFFICE
Mantralaya, Nava Raipur Atal Nagar

क्रमशः ...2

7. राज्य के कर्मचारियों को मध्यप्रदेश की भांति 300 दिन के बराबर अर्जित अवकाश (E.L.) का अवकाश नगदीकरण किया जाये एवं इसका लाभ कार्यभारित कर्मचारियों को भी प्रदान किया जाये।

8. उत्तरप्रदेश के योगी सरकार की तरह छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों एवं पेन्शनरों को 5 लाख रूपये तक का "पं. दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना" लागू किया जाये।

9. राज्य के समस्त कर्मचारियों को 500/- रू. प्रतिमाह मोबाईल भत्ता दिया जाये क्योंकि समस्त शासकीय कार्य के लिये कर्मचारी अपने व्यक्तिगत मोबाईल का उपयोग करता है।

10. समस्त विभागों में संविदा एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्यभारित तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित पदस्थापना में नियुक्त कर नियमित कर्मचारियों के समान समस्त लाभ दिया जाये एवं वाहन चालकों को तकनीकी कर्मचारी घोषित किया जाये।

11. समस्त विभागों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों तथा पदोन्नत के पदों पर एक समय सीमा निर्धारित कर सीधी भर्ती/पदोन्नति किया जाये।

12. तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीलिंग होने के कारण 1 जून 2022 से अनुकंपा नियुक्ति के अनेकों प्रकरण लम्बित हैं, अतः चतुर्थ श्रेणी की तरह तृतीय श्रेणी के पदों का सीलिंग हटाया जाये।

13. मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के पेन्शनरों के लिये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित किया जाये।

14. राज्य के कर्मचारियों को 5वें एवं 6वें वेतनमान के आधार पर देय समस्त भत्तों को 7वें वेतनमान के अनुरूप पुनरीक्षित किया जाये।

उपरोक्त मांगों के समर्थन में शासन का ध्यानाकर्षण हेतु आगामी 6 मार्च 2024 को संयुक्त मोर्चा के समस्त घटक संगठनों के प्रतिनिधि सीमित संख्या में राजधानी रायपुर के धरना स्थल बूढ़ा तालाब में सत्याग्रह आंदोलन करेंगे।

(संजय सिंह)	(महेन्द्र सिंह राजपूत)	(अनिल शुक्ला)
प्रांताध्यक्ष	अध्यक्ष	प्रांतीय संयोजक
छ.ग.लिपिक वर्गीय कर्म. संघ	छ.ग.मंत्रालयीन कर्मचारी संघ	छ.ग.कर्मचारी अधिकारी महासंघ
mo 7999052409	mo 8349121920	mo 9827172207